

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2007/डी-1268

दिनांक: 06/9/07

विषय:- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 62 वीं बैठक दिनांक 29.08.2007 को मध्याह्न पूर्व 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

क्र० सं०	एजेण्डा संख्या	प्रकरण	निर्णय	अनुपालना
1.	62.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 61 वीं बैठक दिनांक 25.07.2007 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के क्रियान्विती की समीक्षा।	बीपीसी (बीपी) की 61 वीं बैठक दिनांक 25.07.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी एवं क्रियान्विती की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।	
2	62.2	भूखण्ड संख्या 17, शुभम एन्क्लेव के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. नियमानुसार समस्त देय शुल्क आदि जमा करवाने होंगे।	
3	62.3	भूखण्ड संख्या सी-82-सी, सी स्कीम के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्। (चेतन्य मार्ग)	प्रस्तावित भवन मानचित्र बैंक करेंसी चेस्ट स्थापित करने बाबत् अधिसूचना 12.07.07 के क्रम में अनुज्ञेय करने का निर्णय, इस शर्त के साथ किया गया कि नियमानुसार व्यावसायिक उपयोग हेतु रूपान्तरण शुल्क व अन्य समस्त शुल्क देय होंगे।	
4	62.4	भूखण्ड संख्या ए-20, अनिता कोलोनी के संशोधित व्यावसायिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र का समर्पण जविप्रा को करना होगा। 2. नियमानुसार समस्त देय शुल्क आदि जमा करवाने होंगे।	
5	62.5	पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 4 व 5 योजना हवा सडक सिविल लाईन्स, जयपुर में ग्रुप हाउसिंग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पार्किंग क्षेत्र को	

			<p>जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाना होगा।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. प्रकरण में मानचित्र पूर्व में अनुमोदित है जिसमें अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जा चुका है।</li> <li>3. भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है।</li> <li>4. चूंकि पूर्व में वर्ष 2006 में भवन निर्माण की अनुमति दी गयी थी एवं मौके पर काफी निर्माण भी किया जा चुका है। अतः इस प्रकरण में पर्यावरण अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होगी।</li> <li>5. भवन की अधिकतम उंचाई 28 मीटर से अधिक नहीं होगी।</li> <li>6. नियमानुसार समस्त देय शुल्क आदि जमा करवाने होंगे।</li> </ol>	
6	62.6	<p>भूखण्ड संख्या 2, राजमहल पैलेस योजना के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>समिति द्वारा बीपीसी (बीपी) की 60 वीं बैठक में गठित कमेटी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया कि प्रार्थी द्वारा सर्विसेज का निर्माण करने हेतु साइड सेटबैक व फ्रन्ट सेटबैक में निर्माण किया गया है। परन्तु भवन विनियमों में इसके अनुमोदन हेतु कोई प्रावधान नहीं है। अतः राज्य सरकार को भवन विनियम की धारा 6.6. व 6.7 के अंतर्गत निम्न निर्माण हेतु प्रेषित कर दिया जाए।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. साइड सेटबैक में लोअर बेसमेंट व अपर बेसमेंट में एसी प्लांट, डीजी सेट व सर्विसेज हेतु।</li> <li>2. फ्रन्ट सेटबैक में लोअर बेसमेंट व अपर बेसमेंट में वाटर टैंक, पम्परूम व सर्विसेज हेतु।</li> <li>3. द्वितीय तल से चतुर्थ तल तक पार्श्व सेटबैक में प्रस्तावित 3.5X20.0 मीटर के कट आउट पर स्लेब हेतु।</li> <li>4. प्रस्तावित कट आउट को पार्टली कवर करने हेतु।</li> </ol>	

7	62.7	रामकृष्ण मिशन परिसर, गौतम मार्ग सी-स्कीम में श्री रामकृष्ण मिशन यूनिवर्सल मंदिर के संशोधित भवन मानचित्र के संबंध में।	प्रकरण बाबत् नगरीय विकास विभाग से प्राप्त दिशा-निर्देश दिनांक 20.07.2007 कि भवन विनियम 2000 की धारा 8.6 के अनुसार विशिष्ट भवनों के पैरामीटर्स निर्धारित करने हेतु बीपीसी सक्षम है। मंदिर विशिष्ट प्रकृति का भवन होने के कारण जविप्रा की गठित कमेटी बीपीसी द्वारा प्रकरण बाबत् आवश्यक निर्णय लिया जा सकता है। प्रकरण पर विचार -विमर्श कर मंदिर की प्रस्तावित रूफडोम की ऊँचाई 15 मीटर व कलश की ऊँचाई 7.62 मीटर रखे जाने की स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया।
8	62.8	भूखण्ड संख्या डी-1/1, बनीपार्क में आवासीय फ्लेट्स के संशोधित भवन मानचित्र के अनुमोदन बाबत्।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा।</li> <li>2. बेसमेंट में प्रस्तावित सर्वेन्ट स्पेस हेतु एन.बी.सी. के प्रावधानानुसार समुचित वातायन का प्रावधान करना होगा।</li> <li>3. स्टिल्ट से बेसमेंट हेतु प्रस्तावित कटआउट्स को अनुज्ञेय करने का निर्णय लिया गया।</li> <li>4. नियमानुसार समस्त देय शुल्क आदि जमा करवाने होंगे।</li> </ol>
9	62.9	सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर में व्यावसायिक भूखण्ड के द्वितीय एवं तृतीय तल के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् एक तकनीकी समिति जिसमें वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) उपायुक्त जोन व जोनल अभियन्ता सदस्य हों का गठन किया गया। उक्त समिति मौके पर जा कर प्रकरण के निस्तारण बाबत् सुझाव प्रस्तुत करेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर पत्रावली पर आयुक्त जविप्रा का अनुमोदन प्राप्त कर प्रकरण का निस्तारण करने का निर्णय लिया गया।
10	62.10	पुनर्गठित भूखण्ड 5 व 6, एयरपोर्ट	एयर पोर्ट प्लाजा स्कीम में जरिये नीलामी

		<p>प्लाजा टॉक रोड के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>निस्पादित भूखण्डों में एफएआर 1.75 व ऊँचाई 20 मीटर (एयरपोर्ट अथोरिटी की अनापत्ति के अध्याधीन) व अन्य मानदण्ड भवन विनियमों के अनुसार रखे गये थे। एयर पोर्ट अथोरिटी द्वारा इस क्षेत्र में अधिकतम 32.20 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय की गयी, जिसके आधार पर पूर्व में अधिकतम 30.0 मीटर ऊँचाई व एफएआर 1.75 मीटर रखते हुए मानचित्र जारी किये गये हैं। पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 5 व 6 में भी एफएआर 1.75 व एयरपोर्ट अथोरिटी द्वारा ऊँचाई बाबत् दी गई अनापत्ति के अनुसार अधिकतम 30.0 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये गये हैं। आवेदक द्वारा दिनांक 17.08.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया है कि 1.75 एफएआर के स्थान पर 2 एफएआर नियमानुसार शुल्क सहित अनुज्ञेय किया जाये क्योंकि यह क्षेत्र अनुसूचि 3 के बाहर स्थित है व होटल नीति में अधिक एफएआर का प्रावधान है। आवेदक द्वारा पार्किंग व सर्विसेज हेतु तीसरे तयखाने की अनुमति भी चाही गई है।</p> <p>समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. चूँकि भूखण्ड नीलामी द्वारा निस्पादित किया गया है अतः स्वीकृत एफएआर से अधिक एफएआर दिये जाने हेतु बीपीसी सक्षम नहीं है अतः भवन विनियम 6.6 के प्रावधानों के अनुसार छूट हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।</li> <li>2. भवन मानचित्र समिति 2 बेसमेंट अनुमोदन करने हेतु सक्षम है, आवेदक द्वारा चाहे गये तीसरे बेसमेंट की स्वीकृति हेतु प्रकरण भवन विनियम 2000 की धारा 6.7 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।</li> </ol>	
11	62.11	भूखण्ड संख्या 2 व 3, गीजगढ	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया	

		विहार हवा सड़क, जयपुर पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. विस्फोटक विभाग की शर्तों/नियमों की पालना की जानी आवश्यक होगी।</li> <li>2. 9 मीटर चौड़ी सड़क की तरफ कोई प्रवेश/निकास की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।</li> <li>3. नियमानुसार समस्त देय शुल्क आदि जमा करवाने होंगे।</li> </ol>
12	62.12	खसरा नम्बर 207/378, सुशीलपुरा, अजमेर रोड, जयपुर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण बाबत् विचार विमर्श दौरान उपायुक्त जोन-5 द्वारा अवगत करवाया गया कि विचाराधीन प्रकरण की लीजडीड हाल ही में जारी की गई है एवं इसका स्वामित्व सही है व कोई बकाया नहीं है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा।</li> <li>2. भवन की उंचाई 15 मी. से अधिक होने के कारण अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा।</li> <li>3. भवन 15 मीटर से अधिक उंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये हैं।</li> <li>4. नियमानुसार समस्त देय शुल्क आदि जमा करवाने होंगे।</li> </ol>
13	62.13	भूखण्ड संख्या ए-21, एवं ए-22, पंचशील कोलोनी, पुरानी चुंगी दरगाह के सामने अजमेर रोड जयपुर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा।</li> <li>2. बेसमेंट फ्लोर पर सर्वेन्ट स्पेस हेतु प्रस्तावित कमरो हेतु एन.बी.सी. के</li> </ol>

			<p>प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित वातायन उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य होगा।</p> <p>3. चूंकि पुर्नगठन के फ्लस्वरूप भूखण्ड संख्या ए-22 व ए-23 की चरपेटा की स्थिति में बदलाव हो चुका है, इस बदलाव के कारण भूखण्ड संख्या ए-23 के सैटबेक की स्थिति यथावत रहेगी एवं विचाराधीन प्रकरण में भूखण्डधारी को मान्य होगी एवं कोई आपत्ति नहीं की जावेगी इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना होगा।</p> <p>4. नियमानुसार समस्त देय शुल्क आदि जमा करवाने होंगे।</p>
14	62.14	भूखण्ड संख्या ए, गोरधन बाडी, खातीपुरा रोड, झोटवाडा में व्यावसायिक भवन के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा।</li> <li>2. भवन की उंचाई 15 मी. से अधिक होने के कारण अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा।</li> <li>3. भवन 15 मीटर से अधिक उंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है।</li> <li>4. नियमानुसार समस्त देय शुल्क आदि जमा करवाने होंगे।</li> </ol>
15	62.15	पुनर्गठित भूखण्ड 62, 63, 64, उद्योग नगर, निवारू रोड जयपुर के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा।</li> <li>2. भवन की उंचाई 15 मी. से अधिक होने के कारण अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा।</li> </ol>

			<p>3. भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है।</p> <p>4. अधिक एफ.ए.आर. हेतु नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क लिया जावे।</p> <p>5. नियमानुसार समस्त देय शुल्क आदि जमा करवाने होंगे।</p>
16	62.16	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 46-47, कोसमों कोलोनी, वैशाली नगर, जयपुर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <p>1. प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा।</p> <p>2. नियमानुसार समस्त देय शुल्क आदि जमा करवाने होंगे।</p>
17	62.17	भूखण्ड संख्या सी-379 वैशाली नगर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <p>1. पूर्व बीपीसी (बीपी) निर्णयानुसार पार्किंग शुल्क लिया जावे।</p> <p>2. लीजमनी बाबत् जोन की रिपोर्ट प्राप्त की जावे।</p> <p>3. नियमानुसार समस्त देय शुल्क आदि जमा करवाने होंगे।</p>
18	62.18	ऊषाबाई खटकड की भूमि पर पर्यटन ईकाई (होटल) हेतु सैटबैक निर्धारण बाबत्।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित मापदण्डों को अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया जो कि निम्नप्रकार होंगे:-</p> <p><u>सैटबैक:-</u></p> <p>सामने- 15 मी.</p> <p>पार्श्व-I 9 मी.</p> <p>पार्श्व-II 9 मी.</p> <p>पीछे - 9 मी.</p> <p>अधिकतम आच्छादन- 35%</p> <p>18 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित होने के कारण एफ.ए.आर. 1.5 तथा उंचाई 15 मीटर तक सीमित रहेगी।</p>

19	62.19	भूखण्ड संख्या 70, 71, 72, श्रीराम विहार के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा।</li> <li>2. भवन की उंचाई 15 मी. से अधिक होने के कारण अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा।</li> <li>3. भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है।</li> <li>4. अतिरिक्त एफ.ए.आर. शुल्क नियमानुसार देय होगा।</li> <li>5. नियमानुसार समस्त देय शुल्क आदि जमा करवाने होंगे।</li> </ol>	
20	62.20	खसरा नम्बर 8 व 9, ग्राम बल्लूपुरा बुटिक होटलम इण्डिया लि. के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा।</li> <li>2. नियमानुसार समस्त देय शुल्क आदि जमा करवाने होंगे।</li> </ol>	
21	62.21	खसरा नम्बर 174 व 175, ग्राम जयसिंहपुराबास, भांकरोटा, तहसील सांगानेर में आवासीय फ्लेट्स के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा।</li> <li>2. भवन की उंचाई 15 मी. से अधिक होने के कारण अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा।</li> <li>3. भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से इस</li> </ol>	

			<p>आशय का शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये हैं।</p> <p>4. कुल निर्मित क्षेत्रफल 22220.79 वर्ग मीटर है अतः राजस्थान पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>5. नोन कन्स्ट्रक्शन एरिया (गैस पाईप लाईन व सर्विस रोड) के क्षेत्र को हराभरा रखने हेतु पूर्व बीपीसी (बीपी) की बैठक में अनुज्ञेय किया गया है, इस भूमि का स्वामित्व जविप्रा/आयल कम्पनी का ही रहेगा।</p> <p>6. नियमानुसार समस्त देय शुल्क आदि जमा करवाने होंगे।</p>
22	62.22	नीतिगत निर्णय:-	<p>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नांकित विषय पर चर्चा कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि मुख्य प्रवर्तन अधिकारी जविप्रा को बीपीसी (बीपी) का सदस्य बनाने के लिए राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया जावे एवं जब तक उक्त अपेक्षित अनुमति प्राप्त नहीं हो तब तक प्रत्येक बीपीसी (बीपी) बैठक में मुख्य प्रवर्तन अधिकारी, जविप्रा को विशेष रूप से आमंत्रित किया जावे।</p>


अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

100  
6/9/07  
सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र समिति(बीपी)  
जविप्रा, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(बिल्डिंग प्लान) की 62 वीं बैठक दिनांक 29.08.2007 को मध्याह्न पूर्व 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |  |            |
|--|------------|
| 1. श्री डी.बी. गुप्ता, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।                   | अध्यक्ष    |
| 2. माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक                          | सदस्य      |
| 3. श्री रामनिवास मीणा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।                     | सदस्य      |
| 4. श्री एस.सी. महागावांकर निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।        | सदस्य      |
| 5. श्री बी. के. दोसी अति. आयुक्त, (पूर्व) जविप्रा, जयपुर।        | सदस्य      |
| 6. श्री नरेश कुमार शर्मा, अति. आयुक्त (एल.पी.सी), जविप्रा, जयपुर | सदस्य      |
| 7. श्री एन. के. खींचा, अति. आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर        | सदस्य      |
| 8. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी)जविप्रा,जयपुर।  | सदस्य सचिव |
- विशेष आमंत्रित :-


1. श्री इन्दर सिंह सोलंकी, जोन-1, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री भगवान सहाय शर्मा, जोन-2, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री इकबाल खान, उपायुक्त जोन-5, जविप्रा जयपुर।
4. श्री गिर्राज अग्रवाल, उपायुक्त जोन-7 जविप्रा जयपुर
5. श्री अरुण गर्ग, उपायुक्त जोन-11 जविप्रा जयपुर
6. श्री देवा राम सैनी उपायुक्त जोन-7 जविप्रा जयपुर
7. श्री अनिल पथरिया, उप नगर नियोजक (बीपीसी), जविप्रा जयपुर।
8. श्री अनन्त देव टांक, उप नगर नियोजक, जोन-1, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री नारायण शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-6, जविप्रा, जयपुर।

  
सदस्य सचिव(बीपीसी)  
जविप्रा/जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2007/डी-1268 दिनांक : 06/9/07

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय श्री वीरू सिंह राठौड, विधायक
3. माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति.आयुक्त, पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./ (भूमि), जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त जोन-....., जविप्रा, जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

  
सदस्य सचिव(बीपीसी)